

गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रविर राफ्टिंग शुल्क माफ

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को उत्तराखण्ड के पर्यटन सचिव सचिनी कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में रविर राफ्टिंग और क्याकगि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार ने गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रविर राफ्टिंग शुल्क तीन साल के लिये माफ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सचिनी कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन के तहत रविर राफ्टिंग की काफी संभावना है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुल्क में तीन साल तक छूट दी है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा।
- नदियों पर रविर राफ्टिंग के लिये पर्यटन विभाग की ओर से संचालकों से शुल्क लिया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 526 से अधिक रविर राफ्टिंग गाइड पंजीकृत हैं। ऋषिकेश में गंगा में रविर राफ्टिंग करने के लिये देश व दुनिया से पर्यटक आते हैं। कौड़ियाला से लेकर ऋषिकेश तक राफ्टिंग की जाती है।
- प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अन्य नदियों पर रविर राफ्टिंग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये शुल्क माफ किया है। इससे बागेश्वर, टनकपुर, रामनगर क्षेत्र में काली, सरयू, रामगंगा, कोसी के अलावा टौस, यमुना, अलकनंदा नदियों में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा मिला।

